छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर – 492002

क्रमांक एफ 7–22/2009/12 नया रायपुर, दिनांक 04/02/14

विषय :– मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय Coordination-cum-Empowered Committee की बैठक दिनांक 21.01.2014, अपरान्ह 04.00 बजे का कार्यवाही विवरण।

—:0:—

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2014 को आयोजित राज्य स्तरीय Coordination-cum-Empowered Committee की बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है।

2/ कृपया उपर्युक्त कार्यवाही विवरण पर पालन प्रतिवेदन इस विभाग को **शीघ्र** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार,

4/2/14
(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर, दिनांक

पृ0क्रमांक एफ 7–22/2009/12
प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग एवं चेयरमेन, सी.एम.डी.सी. लिमि., मंत्रालय, नया रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
6. सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
7. विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
8. विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
9. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), पीसीसीएफ कार्यालय, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर (छ0ग0),
10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, सोनाखान भवन, रायपुर (छ0ग0),
11. प्रबंध संचालक, सी.एम.डी.सी. लिमि., सोनाखान भवन, रायपुर (छ0ग0),
12. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय नया रायपुर,
13. निज सचिव, सचिव खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नया रायपुर,
14. श्री पी.व्ही.एन. राव, सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मण्डल, रायपुर,

भारत सरकार के प्रतिनिधि/अधिकारी :-

15. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली,
16. सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली,
17. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कस्टम, राजस्व विभाग), नई दिल्ली,
18. कन्ट्रोलर जनरल, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), नागपुर (महाराष्ट्र),
19. सचिव, भारत सरकार, जहाजरानी मंत्रालय, नई दिल्ली
20. महानिरीक्षक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग(जीएसआई), कोलकाता (प. बंगाल),
21. सीएमडी, साऊथ इस्टर्न कोल इण्डिया लिमि0, बिलासपुर,
22. सीएमडी, नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश),
23. श्री आर. मजूमदार, सीनियर मायनिंग जियोलॉजिस्ट, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), नागपुर (महाराष्ट्र),
24. श्री आर.आर. डोंगरे, वरिष्ठ सहायक नियंत्रक, माईन्स, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), नागपुर (महाराष्ट्र),
25. श्री एस.के. दास, संचालक (कमर्शियल), एन.एम.डी.सी., हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश),
26. श्री एस.बोस, संचालक (प्रोडक्शन), एन.एम.डी.सी., हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश),
27. श्री एल.एन. माथुर, ई.डी., एन.आई.एस.पी., एन.एम.डी.सी., हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश),
28. श्री ए.पी. पंडा, संचालक (वित्त), एस.ई.सी.एल., सीपत रोड, एसईसीएल भवन-बिलासपुर (छ0ग0),
29. श्री एस.एस. बापट, चीफ मैनेजर(वन), एस.ई.सी.एल., सीपत रोड, एसईसीएल भवन-बिलासपुर (छ0ग0),
30. श्री वी.एस. राव, जी.एम., एस.ई.सी.एल., सीपत रोड, एसईसीएल भवन-बिलासपुर (छ0ग0),

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर,–492002

State Coordination-cum-Empowered Committee की
बैठक दिनांक 21.01.2014 का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा राज्य में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रभावी रोकथाम हेतु उपर्युक्त कदम उठाने हेतु संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु केन्द्र के समान ही राज्य स्तर पर भी State Coordination-cum-Empowered Committee का गठन किया गया है। उक्त बैठक मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2014 को सांय 04.00 बजे से मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में संलग्न सूची के अनुसार अधिकारीगण (सदस्यगण) उपस्थित रहे।

बैठक के प्रारंभ में सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों तथा सार्वजनिक उपकमों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए एजेण्डावार चर्चा प्रारंभ की गई। बैठक में हुई एजेण्डावार चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

(1) **(i) रेत तथा मुरूम गिट्टी के लीज के एनवायरमेंट क्लीयरेंस के लंबित प्रकरणों में निराकरण की समीक्षा।**

(ii) निर्माण सामग्रियों के बाजार मूल्य को नियंत्रित रखने हेतु आवश्यक उपाय।

सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव की ओर से सभी कलेक्टर्स को गौण खनिज रेत के मूल्य पर नियंत्रण लगाने के संबंध में भेजे गये अर्द्धशासकीय पत्र के उपरांत जिलों में कलेक्टर्स द्वारा समुचित कार्यवाही की गई है जिससे रेत अब उचित मूल्य पर उपलब्ध हो पा रहा है। फिर कुछ जिलों में अभी पर्याप्त संख्या में रेत खदानों को पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिल पाया है। जिसके कारण रेत की उपलब्धता सुगम नहीं है। पर्यावरण क्लियरेंस के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में प्रकरण भिजवाये जा रहे हैं। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परिपत्र दिनांक 24.12.2013 के माध्यम से रेत उत्खनन के लिए भी मायनिंग प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये है। मायनिंग प्लान तैयार करने एवं अनुमोदित करने के लिए क्रमशः जिलों में पदस्थ खनि निरीक्षकों एवं खनि अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण मण्डल को यह निर्देश दिये कि पर्यावरण क्लियरेंस हेतु लंबित रेत, गिट्टी, मुरूम आदि के प्रकरणों में पर्यावरण क्लियरेंस शीघ्र जारी कराये ताकि निर्माण एवं विकास कार्यो के लिए गौण खनिजों की उपलब्धता समुचित मूल्य पर सुनिश्चित हो सके।

(2) मुख्य एवं गौण खनिज हेतु अभिवहन पास के मुद्रण की स्थिति।

सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा मुख्य सचिव के ध्यान में यह तथ्य लाया गया कि संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों द्वारा लगातार शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से संपर्क करने के उपरांत भी आवश्यक संख्या में अभिवहन पार पत्रों का मुद्रण नहीं हो पा रहा है जिसके कारण रॉयल्टी कलेक्शन में कठिनाई आ रही है।

मुख्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सचिव, राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया कि शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव को अभिवहन पारपत्रों का मुद्रण प्राथमिकता में करने हेतु निर्देशित किया जाय।

(3) शासकीय घास/निस्तार भूमि में खनिज रियायतों की स्वीकृति हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.01.2013 में आवश्यक संशोधन बाबत् चर्चा।

सचिव, खनिज साधन विभाग ने मुख्य सचिव के ध्यान में यह लाया कि कानूनी दृष्टि से खनिजों का स्वामित्व राज्य शासन का है। खनिज राज्य के राजस्व के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य शासन खनिजों के दोहन के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा। अतः शासकीय भूमि से खनिजों के खनन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के Civil Appeal No. 1132/2011@S.L.P. (C)No. 3109/2011 Jagpal Singh & ors Vs State of Punjab & Ors. में पारित निर्णय दिनांक 28 जनवरी, 2011 के प्रकाश में मानी जा रही रोक विधि सम्मत नहीं है।

सचिव, खनिज साधन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि खनिजों के लिए शासकीय भूमि का आबंटन नहीं किया जाता है बल्कि भूमि एक निर्धारित अवधि के लिए लीज पर दी जाती है तथा लीज अवधि समाप्त होने पर वह भूमि फिर से वापस पब्लिक परपज के लिए उपलब्ध हो जाती है, जिसका ग्राम वासियों द्वारा उपयोग किया जाता है। अतः प्रस्ताव किया गया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में धारा-237 में संशोधन कर जो "गौण खनिज" शब्द जोड़ा गया है उसके स्थान पर "गौण" हटाकर सिर्फ "खनिज" शब्द रखा जाये, ताकि शासकीय भूमि में गौण/मुख्य दोनों प्रकार के खनिज के लिए पट्टे/उत्खनिपट्टे जारी किये जा सकें।

मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में निर्देश दिये गये कि सचिव, राजस्व विभाग तथा सचिव, खनिज साधन विभाग, प्रमुख सचिव विधि विभाग के साथ इस संबंध में कानूनी स्थिति का परीक्षण करें। यदि इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर करने की आवश्यकता हो, तो की जाये। यदि शासन स्तर पर ही समाधान हो सकता है तो उसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(4) रेल्वे साइडिंग से निर्गमित समस्त खनिजों का विवरण खनिज विभाग को प्रदान किया जाना।

रेल्वे विभाग से कोई भी अधिकारी बैठक में न आने के कारण इस बिन्दु पर चर्चा नहीं हो पायी। मुख्य सचिव द्वारा उक्त विषय पर जनरल मैनेजर, भुवनेश्वर रेल्वे को इस संबंध में पत्र लिखने के निर्देश दिये गये।

(5) **"Special anti-extortion and anti-money laundering cell" द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा।**

बैठक में उपस्थित अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग ने बताया कि "Special anti-extortion and anti-money laundering cell" का गठन हो चुका है। उक्त Cell द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को निर्देश दिये कि पुलिस अधिकारियों की सप्ताहिक समीक्षा बैठक में उन्हे इस सेल द्वारा की गई कार्यवाहियों के संबंध में अवगत कराया जावे।

(6) (i) **खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कार्यवाही की समीक्षा।**

सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा मुख्य सचिव को अवगत कराया कि कलेक्टर्स की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक, वनमण्डल अधिकारी, आर.टी.ओ. एवं खनि अधिकारी सदस्य हैं। टास्क फोर्स की बैठकें कुछ जिलों में नियमित रूप से हो रही हैं तथा कुछ जिलों में नहीं हो पा रही है जिसके लिए कलेक्टर्स को लिखा गया है।

मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्त को यह निर्देश जारी करने को कहा कि वे अपने संभाग के कलेक्टर्स की बैठक के दौरान इस बिन्दु पर भी समीक्षा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि उनके संभाग के जिलों में कलेक्टर्स द्वारा समिति की बैठकें नियमित तौर पर आयोजित की जाये ताकि अवैध परिवहन पर वन विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग के बेहतर समन्वय से खनिजों पर प्रभावी नियंत्रण लग सके।

(ii) विभिन्न मार्गों पर एक ही स्थान पर स्वीकृत वन विभाग एवं खनिज साधन विभाग की जाँच चौकियों का संविलियन।

सचिव, खनिज साधन विभाग ने मुख्य सचिव को बताया कि वन विभाग द्वारा उनकी जांच चौकियों में खनिज अमले को भी बैठाने के लिए सहमति दी गयी है। अतः इस बिन्दु पर चर्चा की आवश्यकता नहीं रह गई है। यदि इस संबंध में किसी विशेष प्रकरण में कोई कठिनाई होगी तो सचिव, खनिज साधन विभाग, प्रमुख सचिव, वन विभाग से संपर्क/चर्चा कर उसका निराकरण कर लेंगे।

(7) बैलाडीला आयरन ओर डिपॉजिट क्रमांक 04 एवं 13 की प्रगति के संबंध NMDC एवं CMDC से चर्चा।

उपरोक्त विषय में चर्चा के पश्चात् यह तथ्य सामने आया कि डिपॉजिट क्रमांक–13 की फारेस्ट क्लियरेंस का प्रकरण भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर लंबित है जिसमें शीघ्र क्लियरेंस प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पत्र लिखा गया है।

जहां तक डिपॉजिट क्रमांक–04 का प्रश्न है उसमें पड़ों की गिनती की कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी है, जिसकी प्रगति अत्यंत धीमी है। मुख्य सचिव द्वारा बठक में उपस्थित श्री मुदित कुमार सिंह, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग (भू–प्रबंधन) को निर्देश दिये कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करायें।

(8) (i) बी.एस.पी. (SAIL) तथा NMDC की स्वीकृत खदानों में बाऊण्ड्री पिलर के DGPS सर्वे की स्थिति।

DGPS सर्वे के संबंध में चर्चा उपरांत यह पाया गया कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित रिफरेंस ग्राउण्ड कन्ट्रोल पाइंट (GCP) के को–आर्डिनेट प्राप्त न होने के कारण प्रगति नहीं हुई है। सचिव, खनिज साधन विभाग ने मुख्य सचिव को बताया कि GCP के को–आर्डिनेट उपलब्ध कराने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा गया है। उनसे अनुमति प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मुख्य सचिव ने यह कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिये।

(ii) बी.एस.पी. (SAIL) तथा NMDC की स्वीकृत खदानों में भारत सरकार की UNFC गाईडलाईन्स के परिप्रेक्ष्य में पूर्वेक्षण एवं खनिज भण्डारों के आंकलन की स्थिति।

बैठक में उपस्थित कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि यू.एन.एफ.सी के तहत खनिज भण्डार के पुर्नआंकलन की कार्यवाही अधिकतर पूर्ण कर चुकी हैं एवं इससे उनके खनिज भंडारों में काफी वृद्धि हुई है।

(9) (i) SECL द्वारा प्रदेश में नई खदानों के खोले जाने की स्थिति।

SECL के अधिकारी ने बताया कि नई खदानों के खोलने की कार्यवाही प्रचलन में है। उनके द्वारा पर्यावरण एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वांछित अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। अनुमति प्राप्त होते ही नई खदानें शुरू की जायेंगी।

(ii) **SECL द्वारा खदानों के DGPS सर्वे एवं कोयला परिवहन वाहनों में GPS लगाने की स्थिति।**

SECL के प्रतिनिधि ने बताया कि DGPS सर्वे एवं कोयला परिवहन वाहनों में GPS लगाने का कार्य चल रहा है तथा कुछ कोयला परिवहन वाहनों में GPS लगाये गये हैं, शेष में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

(10) बस्तर जिला किसान विकास मंच नगरनार के पत्र के संबंध में चर्चा।

मुख्य सचिव ने इस संबंध में बैठक में उपस्थित एन.एम.डी.सी. के डायरेक्टर, श्री नन्दा से विस्तार पूर्वक चर्चा की। डायरेक्टर, श्री नन्दा ने बताया कि आंदोलनकारियों की मांग बैक डेट से वेजेस भुगतान करने तथा सभी लोगों का तत्काल नियुक्ति देने की है। चूंकि नियुक्ति की कार्यवाही फेज वाईज ही की जायेगी, अतः तत्काल सभी को नियुक्ति देना संभव नहीं है। बैक डेट से वेजेस के बारे में उन्होने कहा कि वे राज्य सरकार की आर.आर.पॉलिसी का पालन कर रहे हैं, यदि राज्य सरकार के द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है तो वे एन.एम.डी.सी के बोर्ड में इस विषय को प्रस्तुत कर आगामी कार्यवाही करेंगे।

संजय कनकने
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय रायपुर

State Coordination-cum-Empowered Committee

तृतीय बैठक दिनांक 21.01.2014 में उपस्थित अधिकारीगणों/सदस्यों की सूची

क्र.	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	विभाग/संस्थान का नाम
1.	2.	3.	4.
राज्य शासन के प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण			
1	श्री डी.एस.मिश्रा	अपर मुख्य सचिव	छ.ग. शासन, वित्त विभाग एवं चेयरमेन, सी.एम.डी.सी. लिमि.
2	श्री एन.के. असवाल	प्रमुख सचिव	छ.ग. शासन, गृह विभाग
3	श्री एन.बैजेन्द्र कुमार	प्रमुख सचिव	छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
4	श्री अमिताभ जैन	प्रमुख सचिव	छ.ग. शासन, वन विभाग
5	श्री के.आर. पिस्दा	सचिव	छ.ग. शासन, राजस्व विभाग
6	श्री एम.के.त्यागी	सचिव	छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग
7	श्री देवाशीष दास	सचिव	छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
8	श्री बी.आनंद बाबू	विशेष सचिव	छ.ग. शासन, उर्जा विभाग
9	श्री व्ही.के.छबलानी	विशेष सचिव	छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
10	श्री मुदित कुमार	अति. पी.सी.सी.एफ. (भू-प्रबंध)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, रायपुर (छ0ग0)
11	श्री एन.के.खाखा	संचालक	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छ.ग.
12	श्री प्रेम कुमार	प्रबंध संचालक	छत्तीसगढ़ डेव्हलपमेंट कार्पो0 लिमि0, रायपुर
13	श्री के.डी.कुंजाम	उप सचिव	छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग
14	श्री डी0महेश बाबू	संयुक्त संचालक	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छ.ग.
15	श्री पी.व्ही.एन.राव	सदस्य सचिव	छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
16	श्री संजय कनकने	अवर सचिव	छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग
आई.बी.एम. के प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण			
17	श्री आर. मजूमदार	सीनियर मायनिंग जियोलॉजिस्ट	आई.बी.एम., नागपुर
18	श्री आर.आर. डोंगरे	वरिष्ठ सहा. नियंत्रक, माईन्स	आई.बी.एम., नागपुर
एन.एम.डी.सी. के प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण			
19	श्री एस.के.दास	संचालक (कमर्शियल)	एन.एम.डी.सी.
20	श्री एस.बोस	संचालक (प्रोडक्शन)	एन.एम.डी.सी.
21	श्री एल.एन. माथुर	ई.डी., एन.आई.एस.पी.	एन.एम.डी.सी.
एस.ई.सी.एल. के प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण			
22	श्री ए.पी. पंडा	संचालक (वित्त)	एस.ई.सी.एल.
23	श्री ए.एस. बापट	चीफ मैनेजर (वन)	एस.ई.सी.एल.
24	श्री व्ही.एस. राव	जी.एम.	एसईसीएल